



Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा  
पंकज पुत्र जगदीशप्रकाश रावसोना बनाम राजो सरकार जशिये तहशीलदार  
निम्बाहेडा, किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र गु.न. 45 रान् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशेकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहशीलदार निम्बाहेडा को 500/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए में खाता संख्या 647 की आराजी नंबर 1726 रकबा 0.9600 हैक्टर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये वगैर नियमानुसार पत्थरगद्दी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगद्दी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगद्दी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरसाईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहशीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</p>	<p>no objection</p> <p></p>

